पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रभाव का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (छ.ग. राज्य के रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. प्रमिला नागवंशी
सहायक प्राध्यापक– समाजशास्त्र.
शा.दू.ब.महिला स्नात. महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

सारांश –

भारत सरकार द्वारा बच्चो के विरूद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकधाम हेतु विशेष कानून लैंगिक अपराधो से बच्चो का संरक्षण अधिनियम 2012 एक प्रभावशील अधिनियम है जो वर्तमान समाज में बढ़ रहे लैंगिक अपराधों से बच्चों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करता है। बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण किसी भी देश व समाज की एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। वह राष्ट्र कभी भी विकसित व सभ्य राष्ट्र नहीं हो सकता जहाँ बच्चों के साथ अपराध और वो भी लैंगिक अपराध होते है। राष्ट्र की नींव भविष्य के निर्माता एवं प्रगति की चरमोत्कर्ष पर समाज को ले जाने वाले बच्चो के लिये लैंगिक अपराधों से संरक्षण हेतु यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के आने से लैंगिक अपराधों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही एवं पीड़ित को न्याय की प्राप्ति होती है।

Key words : - लैंगिक अपराध, बच्चों की सुरक्षा, न्याय, संरक्षण, प्रभाव, समाज,

प्रस्तावना :–

किसी भी देश का सबसे बड़ा मानव संसाधन एवं देश को प्रगति की ओर अग्रसर कर नयी दिशा में गतिमान करने में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, प्रसन्नता और विभिन्न अवसरों में पहुँचना सामाजिक–आर्थिक प्रगति का पैमाना है। वर्तमान में बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के

लैंगिक अपराध समाज में दृष्टिगोचर होते हैं जिस कारण बच्चों का नैतिक पतन और आत्मविश्वास में कमी आना स्वाभाविक है। बाल शोषण बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है जो वैश्विक स्तर पर उनके कल्याण को प्रभावित करता है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद चुनौतियाँ बनी हुई है जिसके लिये निरंतर सहयोग और रोकथाम उपायों की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर बाल अपराध व शोषण एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। जिसके लिये बच्चों को नुकसान से बचाने और उनकी संरक्षण एवं भलाई सुनिश्चित करने के लिये सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता है।

भारतीय समाज में प्रारंभ से होने वाले असामाजिक कार्यों एवं अपराधों की रोकथाम हेतु विभिन्न समयों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएँ एवं संहिताएं संचालित होती रही है जिसके फलस्वरूप चाहे पुरूष, महिला, वृद्ध, युवा या बच्चों को संरक्षण प्राप्त होता रहा हैं। जैसे–जैसे समाज का विकास होता गया अपराधों की प्रकृति में भी परिवर्तन होते गये। समाज में अपराध का बढ़ना असंतुलन की स्थिति निर्मित करता है। अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान अवस्य होती है। सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध सामाजिक नियमों से विचलन है जबकि कानूनी दृष्टिकोण से अपराध कानून द्वारा निषिद्ध कार्य है। जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। सदरलैण्ड;(1945)[1] ने अपराध को परिभाषित करते हुये लिखा है कि अपराध सामाजिक मूल्यों के लिए घातक एक ऐसा कार्य है जिसके लिए समाज द्वारा दण्ड की व्यवस्था की जाती है। इसी तरह **थॉमस तथा नैनिकी (1753)**[2] ने भी बताया कि अपराध समूह में एकता का विरोधी है जिसे व्यक्ति अपना समझते हैं।

भारतीय समाज में बालक के विकास में समाज की प्रकृति और स्वरूप का विशेष प्रभाव पड़ता है इसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व निर्भर करता है। वर्तमान परिवेश में नगरीकरण, औद्योगीकरण, पश्चिमीकरण एंव तकनीकी ने समाज में आमूल चूल परिवर्तन लाया परंतु समाज में अपराध के क्षेत्र में वृद्धि

होने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है विशेषकर बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित किया।

जनगणना 2011 के आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि देश की संपूर्ण जनसंख्या में 440 मिलयन जनसंख्या अर्थात बहुत बड़ा भाग 18 वर्ष से कम उम्र के अंतर्गत आते है जो कुल जनंसख्या का 37प्रतिशतहैं,जिसमें 0–6 वर्ष के बच्चे 14प्रतिशत, 7–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे 17 प्रतिशत,तथा 15–17 आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत 6 प्रतिशत है अर्थात् एक महत्वपूर्ण जनसंख्या में कार्य करने की असीम क्षमता विद्यमान है,यही जनसंख्या पर घटित होने वाली अपराधों से सुरक्षा एवं संरक्षण समाज एवं देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यूनिसेफ– के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल अपात कालीन फंड हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा करता है ताकि बच्चों की रक्षा करके इनकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करके उनके जीवन को बचाने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालको को अपराधो से बचाने हेतु अनेक कार्य किये जा रहें है। नेशनल क्राइम रिकार्डस ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित क्राम इन इंडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 2009 से लेकर अब तक प्रतिवर्ष बच्चों के खिलाफ अपराध के प्रतिशत में लगातार वृद्धि ही हुई है,जिन्हे नियंत्रित करनें बच्चों की सुरक्षा हेतु पॉक्सो अधिनियम को लागू किया गया।

पॉक्सो एक्ट का अर्थ–

पॉक्सो का अर्थ protection of children from sexual offences अर्थात् लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है जो कि बच्चो (बालक /बालिका) के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुये यौन अपराध, उत्पीड़न तथा पौर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य आदि से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम 19 जून 2012 को देश में लागू किया गया। इस एक्ट में बच्चों से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के बालक–बालिका दोनो सम्मिलित है। साथ ही इस अधिनियम में कुल 46 धाराऍ है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है।बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अधिनियम (11

दिसम्बर,वर्ष 1992) के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया हैं। केन्द्र सरकार द्वारा लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 1 की उपलब्ध (3) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत होगें।

बच्चे किसी भी समाज के भविष्य का निर्माणकर्ता होने के साथ एक नयी पीढ़ी के रूप में समाज की संस्कृति एंव सभ्यता का हस्तांतरित करने वाला समूह होता हैं जिनमें अपार ऊर्जा और क्षमता द्वारा किसी भी असंभव कार्य को संभव कर दिखाने की दृढ़ इच्छा शक्ति विद्यमान होती है अर्थात बच्चों की सुरक्षा, एवं संरक्षण दोनों प्रदान करना समाज के साथ–साथ देश की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि इन्हें समाज की विभिन्न बुराइयों, अपराधों एवं शोषण से पृथक रखा जाये। बाल यौन अपराधों में आज विश्व में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है जिससे भारत देश भी अछूता नहीं रहा बल्कि बाल यौन अपराधों की संख्या में पूरे विश्व में शीर्ष पांच देशों में से एक हैं और जागरूकता होने के परिणाम स्वरूप भी ऐसे मामलों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गयी है, जो बहुत चिंतनीय और विचारणीय है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे से निपटने के लिये भारतीय कानून व्यवस्था में पॉक्सो अधिनियम को 2012 में लागू किया गया जिससे पीडितों को सुरक्षा मिल सके और अपराधों में हो रही वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके साथ ही नाबालिकों के साथ होने वाले सेक्सुअल हैरासमेंट को रोकने के लिये इस अधिनियम का क्रियान्वयन,प्रभाव एवं पीडिता को संरक्षण प्राप्त होने के पश्चात् क्या समाज में दोबारा फिर से वह सामंजस्य कर पाते है हेतु अघ्ययन की आवश्यकता है।अपराधों को रोकने,अपराधी को दंडित करने हेतु यह एक ऐसा अधिनियम है जो बच्चों के शारीरिक,मानसिक,आध्यात्मिक एवं बौद्धिक स्वास्थ्य के साथ ही उनकी सुरक्षा विशेष महत्व रखती है। यह किसी लिंग विशेष पर आधारित न होकर तटस्थ अधिनियम है जिसके द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को परिभाषित करता है। यौन उत्पड़ीन, अश्लील साहित्य और किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध जो बच्चे के सर्वागीण विकास में बाधा उत्पन्न कर उन्हें शोषित करती है यहॉ तक कि बच्चों की तस्करी करने वाले लोंगों को भी यह अधिनियम दंडित करती है। इसके साथ ही वर्तमान में मोबाइल, कम्प्यूटर एवं मीडिया के माध्यम से बढ़ रही चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो किसी बच्चे के दृश्य चित्रण कराने पर भी यह अधिनियम रोक लगाती है। अतः यह अध्ययन समाज के बच्चों की सुरक्षात्मक अधिकारों न्याय एवं संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है।पॉक्सो अधिनियम 2012 तब लागू किया गया जब बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामालें बढ. रहे थे।इसमें यौन उत्पीड.न और अश्लील साहित्य से बच्चों की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान है और इस कानूनों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

जब कोई भी व्यक्ति किसी बालक को बिना किसी उसकी सहमति के यौन कृत्य करे तो वह व्यक्ति पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधी है जिसके कारण पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर फिर जांच आगे बढ़ाती है।

किसी भी व्यक्ति या संस्थानों द्वारा भी बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए अब पर्याप्त जारूकता पायी जाती है जहां मामलों की गैर रिपोर्टिंग को भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक विशिष्ट अपराध की श्रेणी में रखा गया है।मामला दर्ज होनें के पश्चात् कार्यवाही नही होनें पर संबंधित अधिकारियों को अपराधी मानकर 6 महीनें की कारावास का प्रावधान है। इस अधिनियम में सीधें अरेस्ट का ही नियम है और बेल का कोई प्रावधान नही है,यह एक गैर जमानती अधिनियम है जिसमें सजा और जुर्माना का प्रावधान है। अपराधों की रिपोर्ट दंड प्रकिया संहिता,1973 में उल्लेख है कि कोइ व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है जिसको यह आशंका है कि उसके साथ कोई लैंगिक अपराध होने वाला है इस आधार पर भी वह उसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकता हैं इस अधिनियम में यह सुनिश्चित करनें के प्रावधान है कि बच्चे की पहचान जिनके खिलाफ यौन अपराध किया जाता है मीडिया द्वारा खुलासा नही किया जाए।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन–जसप्रीत, सिंग (2020)– ने जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू जिले में अपने अध्ययन से स्पष्ट किया है कि किशोरावस्था में बच्चे परिवार के साथ स्वंय के साथ घटित होने वाली घटनाओं को साझा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें परिवारिक सदस्यों से ज्यादा इस आयु में अपने मित्रों पर अधिक विश्वास करते है जिससे अपराध कई बार दब जाते है, साथ ही यह भी

हित अभिलाषा,मोहंती एवं देवप्रिया (2021) – ''यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का विश्लेषण।'' इन्होने अपने लेख में लिखा है कि यह अधिनियम के दोनो मूल मागों की गणना करता है। जहां पीड़ित बच्चे के लिखाफ किये गये विभिन्न यौन अपराधों के साथ–साथ उनकी सजाओं और अधिनियम के प्रकियात्मक भाग के बारे में भी बात करना है जिससमें रिपोर्ट करने के लिये अपनायी जाने वाली आवश्यक प्रकिया शामिल है।

महाराना सुमन (2022)– इन्होने भी पॉक्सों एक्ट से संबंधित अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि विश्व के सात में भी बच्चे विवाद के समय सेक्सुअल गालियों का प्रयोग करते है जिसमें 37.8 प्रतिशत तन्जानिया, 30 प्रतिशत इजराइल, 28 प्रतिशत स्वीडन, 25.3 प्रतिशत यू.इस. ए., 24.2 प्रतिशत स्वीटरजरलैण्ड। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत ही नही बल्कि विश्व के विकसित देशों में भी लैंगिक अपराधों से संबंधित बालको द्वारा कृत्य किये जाते है।देखा गया कि अशिक्षित निर्धन एवं कामकाजी परिवार जहॉ पारिवारिक सदस्य घर में नहीं होते की अनुपस्थिति में लैंगिक उत्पीड़न अधिक सामने आया है।

होनप रोहिणी (2023)–इन्होने अपने लेख में लिखा है कि 33 मिलियन बच्चे शिक्षा के बिना बाल मजदूर के रूप में कार्य करते है और 23 प्रतिशत महिलाएॅ (NFH S-S) (2019–21) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु में ही विवाह कर लेते है इससे यह स्पष्ट होता है कि लैंगिक अपराधों को बढ़ावा मिलता है।

प्रस्तुत शोध पत्र पॉक्सो एक्ट 2012 का प्रभाव क्या वास्तव में समाज में समाज में अपराध को अर्थात् बच्चो के साथ होने वालें लैंगिक अपराध को रोकने में प्रभावशील है इस प्रयोजन को ध्यान में रखकर यह शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है। **प्रस्तुत शोध पत्र रायपुर जिले में पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन है।..**

शोध प्ररचना– प्रस्तावित शोध में शोध प्ररचना के रूप वर्णनात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है.

अध्ययन का उद्देश्य :–

1. छ.ग. राज्य के रायपुर जिले में पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति :–

शोध अध्ययन में अध्ययन पद्धति को तीन भागों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है–

(अ) अध्ययन का क्षेत्र :–

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर नगर पर आधारित है। रायपुर नगर खारून नदी के तट पर स्थित है, और राज्य की राजधानी है। 14वीं सदी के अंतिम चरण में कलचुरीवंश के रतनपुर के राजा ब्रम्हदेव राय इस अंचल में सन् 1401 में प्रविष्ट हुए तथा रायपुर को प्रशासन हेतु राजधानी का रूप दिया। 1818 ई. में अंग्रेज कर्नल एग्न्यू जो कि छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश प्रशासन थे ने रतनपुर से राजधानी रायपुर हस्तांतरित की वर्तमान रायपुर का अभ्युदय छ.ग. राज्य बनने के पश्चात् विस्तृत है। सतयुग में रायपुर का नाम कनकपुर,व्दवापर में कंचनपुर था। जनश्रुति के अनुसार यह क्षेत्र बहुत ही समृद्वशाली क्षेत्र रहा है। वर्तमान में यहां विभिन्न क्षेत्रों में विकास स्पष्ट दिखाई देता है।

(ब) उत्तरदाताओं का चयन :–

प्रस्तुत अध्ययन हेतु रायपुर नगर में पॉक्सो अधिनियम से संबंधित विभिन्न केश दर्ज संख्या के आधार पर उद्देश्य पूर्ण निदर्शन के माध्यम से 100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। रायपुर नगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पंजीबध्द अपराधों में विभिन्न थानों में अपराध दर्ज संख्या सम्मिलित है।

(स) तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त उपकरण एवं प्रविधि –

प्रस्तुत शोध पत्र में तथ्यों के संकलन साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन प्रविधि के द्वारा किया गया है। तत्पश्चात तथ्यों को सारणीयन के माध्यम से व्यवस्थित का सांख्यिकी विश्लेषण से निष्कर्ष की प्राप्ति हुई है उसके प्श्चात निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

समस्या का प्रस्तुतीकरण –

तालिका क्रमांक –01:

उत्तरदाताओं की लिंग संबंधी विवरण

क्रमांक	लिंग	आवृति	प्रतिशत
1	महिला	50	50
2	पुरुष	50	50
	योग	100	100

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 01 के विवरण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में 50 प्रतिशत महिला उत्तरदाताएं एवं 50 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताएं सम्मिलित है,दोनों प्रकार के उत्तरउताओं के होनें से अध्ययन में विषय से संबंधित सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन की प्राप्ति हो सकेगीं।

तालिका क्रमांक . 02

उत्तरदाताओ की आयु संबंधित जानकारी

क्रमांक	आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
1	0.5	2	2
2	5.10	17	17
3	10.15	32	32
4	15–17 वर्ष तक	49	49
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 02 से स्पष्ट होता है कि पॉक्सो एक्ट 2012 का विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु 0–5 आयु वर्ग के बालको की संख्या 2 ए 5 से 10 आयु वर्ग के उत्तरदाता 17 प्रतिशतए 10 . 15 आयु वर्ग के 32 प्रतिशत एवं 15 से 17 आयु वर्ग के 49 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित है। चूंकि पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 के अंतर्गत 17 वर्ष अर्थात 18 वर्ष से कम आयु तक के बालक जो लौंगिक अपराध से ग्रसित होते है इस अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है।

तलिका क्रमांक–1.3

पॉक्सो अधिनियम का बालकों की सुरक्षा हेतु उपयोगी हानें संबंधी विवरण

क्रं.	उपयोगी होना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	79	79
2.	नहीं	04	04
3.	कुछ हद तक	17	17
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.3 से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में 79 प्रतिशत उत्तरदाता में पॉक्सो अधिनियम 2012 को बालकों की सुरक्षा के लिये उपयोगी बताया है इन उत्तरदाताओं का कहना है कि वर्तमान में बालकों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों से तत्काल प्रभाव में लेकर बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है जिसके कारण उपयोगी है। 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस अधिनियम को कुछ हद तक ही उपयोगी बताया जबकि केवल 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उपयोगी नहीं होने के संबंध में बात कही। ये ऐसे उत्तरदाताएँ हैं जिनका केश अभी भी लंबित है।

तालिका क्रमांक 1.4

अधिनियम का बाल अपराधों को रोकने संबधी विवरण

क्रं.	राय	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	67	67
2.	नहीं	0	0
3.	कुछ हद तक	33	33
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.4 से ज्ञात होता है कि बालको के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों को रोकने संबंधी विवरण में 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में उत्तर दिया है जबकि 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुछ हद तक ही बालकों के साथ घटित होने वाली लैंगिक अपराधों को रोकने हेतु उपर्युक्त बताया है। किसी भी उत्तरदाता ने नहीं में जवाब नहीं दिये हैं।इससे यह स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम का प्रभाव समाज में दिखाई देता है और लैंगिक अपराधों से ग्रसित बालकों को सुरक्षा प्रदान किया जिसके कारण इस तरह के अपराधों की संख्या में कमी आयी है।

तालिका क्रमांक 1.5

अधिनियम के अंतर्गत झूठी सूचना देने पर दंडित होने संबंधी विवरण

क्रं.	जानकारी होना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	62	62
2.	नहीं	27	27
3.	नहीं मालूम	10	10
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.5 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी के द्वारा झूठी सूचना देने पर दंडित किये जाने के संबंध में कुल उत्तरदाताओं में से 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में उत्तर दिया है ये ऐसे उत्तरदाताएँ हैं जिन्हें अधिनियम के संबंध में पूरी तरह जानकारी है। जबकि 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस विषय में जानकारी नहीं होने की बात कही है। 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं न बताया कि जब कोई बालिका (18 साल से उपर) झूठी शिकायत दर्ज करवाती है तथी उसे दंडित किया जायेगा परंतु नाबालिक अर्थात 18 वर्ष से कम कोई भी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता।

तालिका क्रमांक 1.6

अधिनियम का पहले से जानकारी होने संबंधी विवरण

क्रं.	राय	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	39	39
2.	नहीं	61	61
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.6 से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से अधिकांश उत्तरदाताएँ अर्थात 61 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के बारे में उन्हें पहले पता नहीं थी जब लैंगिक अपराध होने से जानकारी प्राप्त हुई। 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि हमें पहले से इस अधिनियम की जानकारी थी इन्होने बताया कि आस–पास के लोगों से, रिश्तेदारों से एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहले से पता था।

तालिका क्रमांक 1.7

केस दर्ज करवाने संबधी विवरण

क्रं.	केस दर्ज कराना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	माता–पिता	69	69
2.	पड़ोसी	07	07
3.	रिश्तेदार	13	13
4.	**अन्य**	**11**	**11**
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.7 से ज्ञात होता है कि लैंगिक अपराधों से ग्रसित बालकों द्वारा किनके साथ केस दर्ज करवाने गये संबंधी विवरण में सबसे अधिक 69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि जब उनके साथ लैंगिक अपराध हुये तो अपने माता–पिता को पहले सूचित किये और उन्हीं के साथ केस दर्ज करवाने गये, 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है िकवे अपने रिश्तेदारों के साथ केस दर्ज करवाने गये इनका कहना है कि उनके रिश्तेदार शिक्षित हैं और कानून की कार्यवाही को अच्छी तरह समझते हैं। 7 प्रतिशत उत्तरदाताएं पडोसियों के साथ केस दर्ज करवाने

गये जबकि 11 प्रतिशत उत्तरदाताएं अन्य व्यक्ति जैसे कोई समाज सेवी, डॉक्टर, वकील के साथ अपने साथ होने वाले अपराधों के संबंध में केस दर्ज करवाने थाना गये।

तालिका क्रमांक 1.8

लैगिक अपराधों में कमी आने संबंधी जानकारी

क्रं.	कमी आना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	49	49
2.	नहीं	20	20
3.	कुछ हद तक	31	31
	योग	**100**	**100**

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 1.8 में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रभाव से वर्तमान में बालकों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों में कमी आयी है जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि बालकों के साथ लैंगिक अपराधों में कोई कमी नहीं आयी है अगर कमी आयी होती तो समाज में बच्चों के साथ लैंगिक अपराध नहीं होते। 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि इस अधिनियम के प्रभाव से कुछ हद तक बालकों के साथ लैंगिक अपराधों में कमी आयी है।

तालिका क्रमांक 1.9

अधिनियम के प्रचार प्रसार होने संबंधी विवरण

क्रं.	प्रचार प्रसार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	55	55
2.	नहीं	45	45
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.9 से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पॉक्सो अधिनियम 2012 का और अधिक प्रचार प्रसार

करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी भी समाज में दूरस्थ क्षेत्र में रहने वालें के साथ मजदूर या निम्न आर्थिक स्थिति वालों को इसकी प्रक्रिया की पूरी तरह जानकारी नहीं है जिसके कारण कई बार ये अपनी समस्याओं को बताने में असहज महसूस करते हैं जबकि 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारियाँ दी कि और अधिक प्रचार प्रसार की आवश्यकता नही है प्रचार प्रसार हुए हैं तथी आज हमने इस अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज करवाया है।

तालिका क्रमांक 1.10

प्रभावशाली बनाने हेतु संशोधन की आवश्यकता संबंधी जानकारी

क्रं.	संशोधन होना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	69.7	69.7
2.	नहीं	30.3	30.3
	योग	**100**	**100**

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 1.10 में पॉक्सों अधिनियम 2012 को और अधिक प्रभावशील बनाने हेतु संशोधन की आवश्यकता होने संबंधी राय में 69.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि इस अधिनियम की प्रक्रिया को और अधिक सरलीकरण कर दिया जाये और कानूनी प्रक्रिया में कम समय लगाया जाये ताकि शीध्र अपराधी को सजा मिले और पीड़िता को मानसिक संतुष्टि मिले। जबकि 30.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्योकि इस अधिनियम से हमें आसानी से कानूनी प्रक्रिया प्राप्त हुई है।

तालिका क्रमांक 1.11

प्रकरणों की सरकार द्वारा मानीटरिंग संबंधी विवरण

क्रं.	मानिटरिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	81	81
2.	नहीं	0	0
3.	नहीं मालूम	19	19
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.11 से स्पष्ट होता है कि पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रकरणों की मानीटरिंग सरकार द्वारा की जाने संबंधी जानकारी में 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में उत्तर दिया है इन उत्तरदाताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस अधिनियम के द्वारा पीड़िता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी थी, कोर्ट तक आने–जाने हेतु पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सकीय सुविधा एवं केस दर्ज करते समय निजता का विशेष ध्यान रखा गया साथ ही समय–समय पर हमारी देख रेख भी की जाती रही एवं प्रत्येक कानूनी प्रक्रिया के समय हमें पूरी तरह सकारात्क सहयोग प्राप्त हुआ। किसी भी उत्तरदाताओं ने नहीं में उत्तर नहीं दिया है। जबकि 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संबधं में अपनी राय में नही मालूम के रूप में उत्तर दिया है इन उत्तरदाताओं का कहना है कि हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हुई है पर हमें नहीं मालूम कि हमें सुवधिाएं कौन उपलब्ध करा रहा है।

निष्कर्ष– उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मे लैंगिक अपराधों को रोकनें और अपराधियों का सजा दिलवानें में

पॉक्सों अधिनियम 2012 की महत्वपूर्ण भूमिका है जो सामाजिक सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा हेतु प्रभावशील होकर कार्य कर रही है। इस अधिनियम के प्रभावशील होने से समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों और उनके माता–पिता को कानून से न्याय की प्राप्ति हो रही है। समाज में लैंगिक अपराध को पूरी तरह से रोका और समाप्त तो नही किया जा सकता परंतु अधिनियम के भय से अपराधी अपराध करनें से पीछे अवश्य हट रहे है।

Reference-

1. **Sather land is white colour criem a crime, American sociological Review, 1945 Vol. No. 10, P.NO. 132 to 139.**
2. **2 Thomas, W... and Znanencki, "Crime is an antion which is antagenistec to the solidrity of that group". The publish peasant in burape and america 1753, Vol NO. II P.NO. 1 to 58.**
3. **Sharma Gouri "The protection of children from sexual affences with special refeence to posco act 2012" International Journal of Health Sciences 2012. P. 1 to 9.**
4. **Saxena A & Bhava S.Y. - Child Sexual abouse in India, child abuse and neglet: challenges are opportunities India Jaypee brothers medical publisher 2013 P.No. 1 to 17.**
5. **Vasudevan P.S. & Bilawar minakshi, P.C. Childran experiences of physical emational and sexual abuse among college students in south India Journal of south India, 2015 Vol. No. 61, P. 40 to 45.**
6. **Chander, R.K., Knnpann, study of POCSO act in India 2016, internationation journal of advanced research and development(2016)vol No.5.p.23to67**
7. **Shivaikar saprem, "A Study of child abuse in the state of Goa". International Journal of advanced research and development (2017) Vol. No. 02 P. 1 to 15.**
8. **Choudhary, B.L. and Raghvendra, K.R. Medical examination of child of sexual assautit under the provection of children from sexual offences (POSCO) act 2012. IP, Enternational journal of forensic medecine and toxicological sciences 2017, Oct-Dec-2 (3) 50-53**
9. **Domaraju,premchand ‘’Marrige age amed ferlity dynamics in India’’Asia research institute national university singapur C2018;469 ATower Block p.no.8-10**
10. **Palli Shrikant,Indian Army.cleark trades man eligibility criteria age limit heigh chest 2019 Bed-ptrika,peg.19-51**
11. **Dogra Ekta, ‘’ Teenage pregnancy Sexually Volated or sexually Active.Me-dico legal**

dilemmas of pacso act 2012 and other releted acts'' International journal of health system and implemention research 2019 val-3{1}

12 Scorall staff 17 year old girls raped murder in lakhimpur kheri,no arrests so for the indian express August 26,Uttarpradesh,2000,p.no.1-7

13. Sing Jaspreet, ''Study to child sexual abuse in Jammu diOffstrict of j&k '' Case studies parishodh journal,vol IX Issue III march 2020 ,p.no.1-7

14. Abhilasha hit,Mohanti and Banarji devpriya-protection of children from sexual offences Act 2012 KIT School of Law S.S.R.N.2021,p.no.1-10

15. Palanimuthe Shivkumar ''A Case study report on dissociative quadriplegia Indian'' Journal of psychiatry ,official publication of the India Psychiatric society 2022 p.no.1-21

16. Maharana Suman-Child sexual abuse in India –KIIT School of law deemed to be university 2022,5 sep p.no.1-5

17 Honap Rohini,Reviwing A Decade of the pocso Act 2012 ,Kesri maharatra trust multidiscplinatry jouranal ,2023,vol Issue-I ,p.no.1to 11.

18 https://www.haikudeck.com/ childhood-should-be-carefree-playing- in-the-sun-not-living-a-nightmare-in-the-darkness-of-the-soul--dave-pelzer-education-presentation-Nli3ORNvZj

19 https://www.cry.org/blog/reality-of-the-practice-of-child-labor-in-india/#:~:text=Nearly%2033%20million%20children%20between,%25%E2%80%94live%20in%20rural%20areas.

20 https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-tex

21 14 Unisef report - samajik sahyog ptrika 2014, P.No. 10 to 25.

22 Census 2011, Pratiyogita Darpan Vol. 6, P.No. 1 to 68.

23 https://www.indiatimes.com/explainers/news/child-development-in-india 555991.html https://www.haikudeck.com/ childhood-should-be-carefree-playing- in-the-sun-not-living-a-nightmare-in-the-darkness-of-the-soul--dave- pelzer-education-presentation-Nli3ORNvZj

24 https://www.cry.org/blog/reality-of-the-practice-of-child-labor-in-india/#:~:text=Nearly%2033%20million%20children%20between,%25%E2%80%94live%20in%20rural%20areas.

25 https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

26 https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text.